

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :-प. 17(1)साप्र/2/2016

जयपुर, दिनांक :- 29/3/2016

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं -


क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	31/07	श्री सीताराम गुर्जर शीघ्र लिपिक कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर	4-सी-19, गांधीनगर (बहुमंजिला)	30.09.2036
2	10/2008	श्री मनमोहन गोविंद वरिष्ठ लिपिक गोपनीय शाखा, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर	4/115, गांधीनगर	31.7.2021
3	202/08	श्री विश्वदीप दीक्षित लिपिक ग्रेड-1 निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।	4/28, गांधीनगर	31.05.2030
4	121/09	श्री गोविन्द सिंह वाहन चालक 3 राज. नवल युनिट, एन.सी.सी., गांधीनगर, जयपुर	4-ए-3, गांधीनगर (बहुमंजिला) (4-बी-2, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	30.6.2026
5	132/2010	श्री अमर चंद बंशीवाल वरिष्ठ लिपिक अधिकाधी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-11, जयपुर	4/48, गांधीनगर	31.1.2030
6	176/2010	श्रीमती आशा ठारानि कनिष्ठ लिपिक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर	4/55, गांधीनगर	30.11.2019
7	181/2010	श्री अमरनाथ गोयल स्टोर मुशी सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला उपखण्ड, आमेर, जयपुर	4/94, गांधीनगर	30.6.2019
8	182/2010	श्रीमती अंजु मीणा नर्स ग्रेड-11 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/70, गांधीनगर	31.8.2045
9	183/2010	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	4/147, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-928, गांधीनगर)	31.8.2024
10	185/2010	श्री जय प्रकाश शर्मा नर्स ग्रेड-11 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/97, गांधीनगर	31.10.2033
11	187/2010	श्री रघुराज सिंह वाहन चालक उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	4/100, गांधीनगर	31.7.2020

12	188/2010	श्री भुवन चन्द्र भट्ट वरिष्ठ लिपिक उप सचिव, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जयपुर	4/109, गांधीनगर	31.3.2024
13	12/2011	श्री अभिषेक भारद्वाज वरिष्ठ लिपिक प्रमुख शासन सचिव, उद्यान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/63, गांधीनगर	31.12.2038
14	39/2012	श्री अनुराग सिंह नाथावत वरिष्ठ लिपिक वित्त (व्यय-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/68, गांधीनगर	31.5.2039
15	55/2012	श्री दिलीप शर्मा वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/177, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-990, गांधीनगर)	30.11.2041
16	18/2013	श्री इन्द्र राम वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/110, गांधीनगर	30.6.2020

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 1 व 4 पर अंकित आवंटनी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(राजेश कुमार शर्मा)  
अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर।

8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति), बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।
10. कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
11. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
12. कमाण्डेंट, 3 राज नवल यूनिट, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर।
18. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला उपखण्ड, आमेर, जयपुर।
19. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
20. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0-खण्ड-तृतीय, जयपुर/जन स्वा0 अभि0 वि0, गांधीनगर, जयपुर/वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
22. सम्बन्धित कर्मचारीगण। क्रम संख्या 4 के आवंटी को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
23. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
24. रक्षित पत्रावली।

  
 29/3/16  
 अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/2016

जयपुर, दिनांक :- 29/3/2016

—: आदेश :-


श्रीमती निशा चौधरी, नर्स ग्रेड-II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 151/2010 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2041 के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 17(1)साप्र/2/2015 दिनांक 20.10.2015 के द्वारा राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियमानुसार वरियता से आवंटित राजकीय आवास संख्या 4/28, गांधीनगर, जयपुर का निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने से आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(राजेश कुमार शर्मा)  
अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड-तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
9. संबंधित कर्मचारी।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

  
29/3/16  
अनुभागाधिकारी